N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT
P.S. (थाना): C.P.S Jaipur
Year (वर्ष): 2024

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0277
Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 29/11/2024 18:00 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन
Date From (दिनांक से): 19/07/2024
Date To (दिनांक तक): 25/09/2024

Time Period (समय अवधि): पहर
Time From (समय से): 13:30 बजे
Time To (समय तक): 18:10 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):
Date (दिनांक): 29/11/2024
Time (समय): 12:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :
Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001
Date & Time (दिनांक एवं समय) 29/11/2024 18:00:19 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): WEST, 115 किमी
Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABL

(b) Address(पता): COLLECTRET PARISAR, DISTRICT SAWAI MODHOPUR

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
Name of P.S (थाना का नाम):
District(State) (जिला (राज्य)):

3. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): SAORBH GEORGE

(b) Father's Name (पिता का नाम): ROCKON RICHRD

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1987 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	15,PAKIT H34, SECTOR 3,ROHINI, नई दिल्ली, दिल्ली, INDIA
2	स्थायी पता	15,PAKIT H34, SECTOR 3,ROHINI, नई दिल्ली, दिल्ली, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	MUKESH KUMAR MEENA		पिता:BANSHILAL MEENA	1. GRAM PANCHAYAT JOLA POST RAMDI,GRAM TINDU,CHOTH KA BARWADA,SAWAI

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		40,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 40,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवा में, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ए.सी.बी. करौली। विषयः-ट्रेप कार्यवाही कराने बाबत, महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मै सौरभ जॉर्ज पुत्र श्री रॉक्शन रिचर्ड जाति क्रिश्चियन उम्र 37 साल निवासी मकान नं. 15, पॉकिट एच-34, सेक्टर- 3 रोहिणी नई दिल्ली 85, का रहने वाला हूं। मेरे द्वारा दिनांक 22.08.2023 को फॉर्म हाउस हेतु ग्राम खिलचीपुर जिला सवाई माधोपुर में कुल 2 बीघा भूमि खाता संख्या नया 1123 पुराना 1099 का खसरा नम्बर 4673 रकवा 0.9900 हेक्टर किस्म बारानी 3 का 1/12 भाग की भूमि व खाता संख्या नया 296 पुराना 311 का खसरा नम्बर 4670 रकबा 1.7500 हैक्टर किस्म बारानी 3 का 1/4 भाग श्री राजेश पिपलवा पुत्र चिरंजीलाल पिपलवा राजपूत निवासी जयपुर हाल निवासी 1104 शिवम हाईटस मगोव गोदाधरा रोड, पर्वत सूरत, गुजरात से क्रय की जाकर रजिस्ट्री करवाई थी । जिसमें मैं व अभिमन्यू सिंह भाटी खातेदार है। इस 2 बीघा भूमि में से मेरे हिस्सा में 1 बीघा भूमि आती है। जिसकी पैमाईस कर कब्जा दिलाने के लिए एस.डी.एम. कार्यालय सवाई माधोपुर में कार्यरत गिरदावर श्री मुकेश कुमार द्वारा एस.डी.एम. कोर्ट सवाई माधोपुर में दावा पेश कर सारी कार्यवाही कराने के लिये 5 लाख रूपये का खर्चा बताकर पहले मुझसे 50,000 रुपये रिश्वत की मांग कर रहा है एवं मुझे बार-बार रुपये लेकर आने के लिये कॉल कर रहा है। मैं ऐसे भ्रष्ट गिरदावर को रिश्वत के 50,000 रुपये नहीं देकर रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। मेरी गिरदावर मुकेश कुमार से कोई रंजिश नही है ना ही कोई लेन-देन बकाया है। कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। हस्ताक्षर प्रार्थी-सौरभ जॉर्ज पुत्र श्री रॉक्शन रिचर्ड जाति क्रिश्चियन उम्र 37 साल निवासी मकान नं. 15, पॉकिट एच- 34, सेक्टर- 3 रोहिणी पुलिस थाना रोहिणी नई दिल्ली 85 मो. नं. [redacted], दिनांक-19.07.2024, हस्ता. जगदीश भारद्वाज पु.नि. हस्ता. स्वतंत्र गवाह-सुरेन्द्र सिंह मीना सहायक विकास अधिकारी व मनोज पाल कनिष्ठ सहायक दिनांक 20.07.2024, कार्यवाही पुलिस --प्रमाणित किया जाता है कि दिनाक 17.07.2024 को ब्यूरो मुख्यालय राजस्थान जयपुर के टोल-फ्री नम्बर 1064 से प्राप्त सूचना के क्रम में परिवादी से जरिये मोबाईल हुई वार्ता अनुसार दिनांक 19.07.2024 को समय 01.30 पीएम पर परिवादी श्री सौरभ जॉर्ज पुत्र श्री रॉक्शन रिचर्ड जाति क्रिश्चियन उम्र 37 साल निवासी मकान नं. 15, पॉकिट एच- 34, सेक्टर- 3 रोहिणी पुलिस थाना रोहिणी नई दिल्ली 85 ने ब्यूरो कार्यालय करौली में उपस्थित होकर उपरोक्त लिखित रिपोर्ट मय आधार कार्ड की प्रति एवं रजिस्ट्री सम्बन्धी दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ए.सी.बी. करौली के पदनाम से सम्बोधित कर मन जगदीश भारद्वाज पुलिस निरीक्षक को पेश की गई। चूंकि ब्यूरो चौकी करौली पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का पद रिक्त होने एवं चार्ज मन पुलिस निरीक्षक के पास होने से परिवादी की लिखित रिपोर्ट पर कार्यवाही करते हुये परिवादी श्री सौरभ जॉर्ज से लिखित रिपोर्ट के सम्बंध में मजीद दरियाफ्त की गई तो परिवादी ने रिपोर्ट स्वंय द्वारा हस्तलिखित होना व रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर होना व लिखित रिपोर्ट में अंकित तथ्य सही सही होने की ताईद करते हुए बताया कि श्री मुकेश कुमार गिरदावर चालाक एवं शातिर प्रवृति का है जो कुछ पैसे पहले बिना लिये बात नहीं करेगा। कुछ पैसे उसको पहले दे दूंगा तो वह रिश्वत सम्बन्धी बात मेरे से करेगा। परिवादी की उपर्युक्त लिखित रिपोर्ट एवं मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत राशि की मांग का होना पाया जाने पर दिनांक 19.07.2024 को समय 02.10 पी.एम. पर विभागीय वॉईस रिकार्डर पैन ड्राईव नुमा को निकालकर परिवादी श्री सौरभ जॉर्ज को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को रिकार्ड करने के लिए वॉईस रिकार्डर (पैन ड्राईव नुमा) को चालू एवं बन्द करने की विधि समझाई गई तत्पश्चात वाईस रिकार्डर में नया खाली मैमोरी कार्ड सेंडिस्क 32 जी.बी. डालकर बन्द हालत में श्री समय सिंह हैड कानि 45 को जरिये फर्द सुपुर्द कर परिवादी के आरोपी मुकेश कुमार के पास जाने से पूर्व वॉईस रिकॉर्डर चालू कर अपना परिचय देकर सुपुर्द करने तथा रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता होने के बाद परिवादी के वापिस आने पर वॉईस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित लेकर आने तथा वापस आकर पेश करने की हिदायत देकर समय 02.20 पी.एम. पर श्री समय सिंह हैड कानि 45 को मय वॉईस रिकॉर्डर के परिवादी श्री सौरभ जॉर्ज के हमराह परिवादी की निजी कार टाटा हैरियर नम्बर डीएल 9 सी एवी 9128 से रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी के बताये अनुसार संदिग्ध आरोपी के पास कलैक्ट्रेट सवाई माधोपुर रवाना किया, जो उसी रोज समय करीब समय 07.30 पी.एम. पर बाद रिश्वत मांग सत्यापन कार्यालय में आये तथा श्री समय सिंह हैड कानि ने बताया कि हम आपके निर्देशानुसार कार्यालय से रवाना होकर सवाई माधोपुर जिला कलेक्ट्री पहुंचे। जहां परिवादी श्री सौरभ जॉर्ज के पास आरोपी का कॉल आया, तो परिवादी ने पूछा कि कहां हो कहां मिलेगो तो आरोपी ने कहा कि बाहर ही

मिल लेना मैं बाहर ही आ रहा हूं। इस पर मैने वाईस रिकार्डर चालू कर अपना परिचय बोलकर वाईस रिकार्डर परिवादी को सुपुर्द कर आरोपी के पास रिश्वत मांग सत्यापन हेतु रवाना कर दिया, करीब 30-40 मिनट बाद परिवादी श्री सौरभ जॉर्ज मेरे पास वापस आया और वाईस रिकार्डर मुझे दिया जिसको मैने प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित रख लिया व परिवादी ने पूछने पर बताया कि मेरी रिश्वत के सम्बन्ध में श्री मुकेश कुमार गिरदावर से बात हो गई है। इस पर मैं और सौरभ जॉर्ज उसकी कार से सवाई माधोपुर से रवाना होकर कार्यालय आ गये। वाईस रिकार्डर अभी मेरे पास सुरक्षित रखा हुआ है। इस पर परिवादी श्री सौरभ जॉर्ज ने हैड कानि के कथनों की ताईद करते हुए बताया कि मैं और श्री समय सिंह हैड कानि आपके कार्यालय से मेरी निजी कार नम्बर डीएल 9 सी एवी 9128 से रवाना होकर जिला कलेक्ट्री सवाई माधोपुर परिसर के बाहर पहुचे जहां पर मेरे मोबाईल नम्बर [redacted] पर श्री मुकेश कुमार गिरदावर के मोबाईल नम्बर [redacted] से समय 04.45 पीएम पर कॉल आया और मेरे से कहा कि कहां हो कहां मिलोगे तो मेने कहा की कलेक्ट्री के बाहर खडा हूं तो मुकेश जी ने कहा कि मैं वही आ रहा हूं। इसके बाद श्री समय सिंह हैड कानि ने वाईस रिकॉर्डर अपना परिचय बोलकर मुझे दे दिया। इसके थोडी देर बाद श्री मुकेश कुमार मेरे पास आ गये तथा मेरी कार मैं बैठ गया जिससे मेरी मेरे जमीन सम्बन्धी काम को करने के लिये कुल खर्चा 5,00,000 रुपये की बात हुई जिसमें से 10,000 रुपये मेने दे दिये और 40000 रुपये कल सुबह देने के लिये बोला है। सभी वार्ता वाईस रिकार्डर में रिकार्ड है। श्री समय सिंह हैड कानि. के पास सुरक्षित रखे हुए वाईस रिकार्डर को जरिये फर्द वापसी प्राप्त कर समय 07.50 पी.एम पर वाईस रिकार्डर (पैन ड्राईव नुमा) मय मैमोरी कार्ड के कार्यालय में स्थापित सरकारी लेपटॉप तोसीबा कम्पनी में कनेक्ट करवा कर टेबल स्पीकर कनेक्ट कर वाईस रिकार्डर पैन ड्राईव नुमा में रिकार्ड वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता 32 मिनट 50 सैकेण्ड को सुना गया तो परिवादी श्री सौरभ जॉर्ज द्वारा बताये गये कथनों की पुष्टि होना पाई गई एवं आरोपी द्वारा परिवादी के समस्त कार्य को करने के 5,00000 रुपये जिनमें से 10,000 रुपये वक्त रिश्वत मांग सत्यापन प्राप्त करना व 40,000 रुपये कल दिनांक 20.07.2024 को परिवादी से प्राप्त करने संबंधी वार्ता होना पाई गई। इस पर वाईस रिकार्डर पैन ड्राईव नुमा मय मैमोरी कार्ड को लेपटॉप से निकालकर सुरक्षा की दृष्टि से मन पुलिस निरीक्षक के चेम्बर मे रखी आलमारी के अन्दर सुरक्षित रखा गया एवं आरोपी को दी जाने वाली राषि 40,000 रुपये कल दिनांक 20.07.2024 को प्रातः कार्यालय में लाने की हिदायत कर परिवादी को रुकसत किया गया। इसके बाद दिनांक 20.07.2024 को समय 07.10 ए.एम पर परिवादी श्री सौरभ जॉर्ज पूर्व से पांबदशुदा उपस्थित कार्यालय आया व बताया कि मैं आरोपी द्वारा मांगी गई रिश्वत राशि 40,000 रुपये साथ लेकर आया हूं। परिवादी को कार्यालय में बिठाया गया, तत्पश्चात समय करीब 08.00 ए.एम. पर श्री केशवदेव कानि 600 को कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद करौली मय तहरीर के दो स्वतंत्र गवाह तलबी बाबत रवाना किया गया जो समय 09.55 ए.एम पर कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद करौली से दो बतौर स्वतन्त्र गवाह कार्यवाही हेतु साथ लेकर आया जिनसे उनके नाम पते पूछे जाने पर उन्होने अपना नाम पता क्रमशः सुरेन्द्र सिंह मीना सहायक विकास अधिकारी व मनोज पाल कनिष्ठ सहायक जिला परिषद करौली होना बताया। तत्पश्चात कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री सौरभ जॉर्ज का परिचय दोनो गवाहन से करवाया जाकर दोनो गवाहान से ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाह साथ रहने की सहमति प्राप्त की गई। तत्पष्चात दोनों गवाहान को परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट को दिखाया व पढवाया जाकर रिपोर्ट पर दोनो गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये तत्पश्चात परिवादी सौरभ जॉर्ज व आरोपी मुकेश कुमार गिरदावर के मध्य दिनांक 19.07.2024 को हुई रिश्वत मांग सम्बन्धी वार्ता के वाईस रिकॉर्डर (पैन ड्राईव नुमा) मय मैमोरी कार्ड के मन पुलिस निरीक्षक के चैम्बर में रखी आलमारी से निकालकर लेपटॉप से कनेक्ट कर रिकॉर्ड वार्ता को टेबिल स्पीकर की मदद से चालू कर सुना व सुनाया गया तो गवाहों द्वारा उक्त वार्ता को सुनकर आरोपी द्वारा रिश्वत की मांग करने की पुष्टि होना पाया गया चूंकि समय के अभाव के कारण उक्त वार्तालाप की ट्रान्सक्रिप्ट एवं पैनड्राईव डीवीडीयां आयन्दा कार्यवाही उपरान्त तैयार किया जाना उचित समझते हुये। वाईस रिकॉर्डर मे से मैमोरी कार्ड को निकालकर पहचान स्वरुप मार्क ए अंकित कर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वंय के चेम्बर की आलमारी में सुरक्षित रखकर लॉक किया गया। इसके बाद दिनांक 20.07.2024 को समय 10.35 एएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के सामने परिवादी श्री सौरभ जॉर्ज ने मांगने पर आरोपी मुकेश कुमार गिरदावर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 500-500 रूपये के 80 नोट कुल 40,000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के अपने पास से निकालकर मन पुलिस निरीक्षक को पेश किये जिनका विवरण फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित करवाया जाकर गवाहान को दिखाया जाकर मिलान गवाहान से करवाया गया। तत्पश्चात श्री सतवीर कनिष्ठ सहायक से कार्यालय आलमारी से फिनोफ्थलीन पाऊडर का डिब्बा निकलवाकर मंगाया जाकर श्री सतवीर कनिष्ठ सहायक से एक अखबार पर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर 500-500 रूपये के उपरोक्त नोटो पर भली-भांति फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया तथा परिवादी श्री सौरभ जॉर्ज की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह सुरेन्द्र सिंह मीना से लिवाई जाकर उनके पास पहने हुये कपडों तथा दो मोबाईल फोन एवं कार की चाबी के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके बाद श्री सतवीर कनिष्ठ सहायक से फिनोफ्थलीन पाउडर लगे हुये उपरोक्त 500-500 रूपये के नोट कुल 40,000 रुपये परिवादी श्री सौरभ जार्ज द्वारा पहनी हुई पेन्ट की बांयी तरफ के घुटने पर लगी जेब मे रखवाये गये तथा परिवादी को समझाईस की गई कि अब इन पाऊडरयुक्त नोटों को अनावश्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपी के मांगने पर ही निकालकर देवे तथा आरोपी उक्त

नोटों को प्राप्त करके कहां रखता है इसका ध्यान रखे तथा आरोपी द्वारा रिश्वत प्राप्त करने पर अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर या अपनी कार की पार्किंग लाईट जलाकर या मोबाइल से मैसेज करके ईशारा करे। इसके बाद दोनों गवाहों को भी हिदायत दी गई कि वे यथासम्भव परिवादी व आरोपी के बीच होने वाले रिश्वत के लेन-देन को देखने तथा वार्ता को सुनने का प्रयास करें साथ ही समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यो को भी आवश्यक हिदायतें दी गई। इसके बाद स्वतंत्र गवाह श्री मनोज पाल कनिष्ठ सहायक से कार्यालय में से एक पारदर्शी प्लास्टिक के साफ गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया और ट्रेप बॉक्स में से सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर उक्त गिलास के पानी में डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त गिलास के घोल में नोटो पर फिनोफथलीन पाऊडर लगाने वाले श्री सतवीर कनिष्ठ सहायक के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो गिलास के धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। इस प्रकार परिवादी एवं दोनो गवाह को फिनोफ्थलीन व सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रक्रिया के महत्व को दृष्टांत दिलवाकर समझाया गया और फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को ढक्कन बंद करवाकर श्री सतवीर कनिष्ठ सहायक से वापस कार्यालय आलमारी में तथा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की शीशी को ट्रेप बॉक्स में स्वतंत्र गवाह के मार्फत उसके हाथ साफ कराने के बाद रखवाया गया। इसके बाद श्री सतवीर कनिष्ठ सहायक से गिलास के धोवन को कार्यालय के अन्दर लैट बाथ में फिकवाया गया और काम में लिये गये अखबार एवं प्लास्टिक परदर्शी गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा उसके दोनो हाथों को साबुन पानी से साफ करवाया गया। इसके बाद ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों यथा कांच की खाली शीशियां मय ढक्कन, आदि को साबुन पानी से साफ करवाकर ट्रेप बोक्स में रखवाया गया। इसके बाद दोनो स्वतंत्र गवाहान, परिवादी तथा मन पुलिस निरीक्षक ने अपने-अपने हाथ साबुन पानी से साफ किये। इसके बाद परिवादी श्री सौरभ जॉर्ज को छोडकर समस्त ट्रेप पार्टी की आपस में तलशी लिवाई गई जिसमें किसी के मोबाईल फोन व विभागीय पहचान के अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई ततपश्चात रिश्वत लेन-देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये विभागीय वॉईस रिकॉर्डर पैनड्राईव नुमा को चालू व बन्द करने की विधि समझायी जाकर उसमें नया मैमोरी कार्ड डालकर आवश्यक हिदायत देकर सुपुर्द किया गया। इस कार्यवाही की फर्द मुर्तिव की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद दिनांक 20.07.2024 को समय 11.30 एएम पर स्टाफ सदस्यों के हाथों को सावुन व पानी से साफ करवाया जाकर परिवादी श्री सौरभ जॉर्ज को उसके द्वारा लाई हुई निजी कार टाटा हैरियर नम्बर डीएल 9सी एवी 9128 से मय स्वतंत्र गवाह श्री मनोजपाल एवं श्री समय सिंह हैड कानि0 45, श्री विष्णु सिंह कानि0 135, श्री राकेश सिंह कानि0 268, श्री केशवदेव कानि0 600 को मय विभागीय ऑडियो बीडियो कैमरा सहित आगे आगे रवाना कर उनके पीछे पीछे मन पुलिस निरीक्षक जगदीश भारद्वाज मय स्वतंत्र गवाह श्री सुरेन्द्र सिंह मीणा एवं स्टाफ सदस्य श्री अजय कुमार एएसआई व श्री सुमेर सिंह हैड कानि0 70, श्री कपिल सिंह कानि0 168, श्री गोपेन्द्र सिंह कानि0 277 मय ट्रेप वोक्स एवं लेपटोप मय प्रिंटर आदि सामग्री के जरिये सरकारी वाहन बोलेरो गाडी नम्बर आर जे 14 यूई 0815 से मय चालक श्री बृजेश कुमार के परिवादी द्वारा दी गई सूचना अनुसार वास्ते ट्रेप कार्यवाही रवाना सवाई माधोपुर हुआ, कार्यालय में नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री सतबीर सिंह कनिष्ठ सहायक को बाद हिदायत छोडा गया। इसके बाद दिनांक 20.07.2024 को समय 01.30 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय समस्त ट्रेप पार्टी मय स्वतन्त्र गवाहन एवं परिवादी श्री सौरभ जॉर्ज के फिकरा उपरोक्त का रवानाशुदा सवाई माधोपुर हवाई पटटी के पास रोड पर पहुंचा जहां पर वाहनों को रोड के बायी साईड में खडा करवाया जाकर वहां से समय करीब 01.31 पीएम पर संदिग्ध आरोपी मुकेश कुमार गिरदावर की लोकेशन जानने बाबत परिवादी के मोबाईल नं [redacted] से आरोपी के मोबाईल नम्बर [redacted] पर परिवादी के मोबाईल का लाउड स्पीकर ऑन करवाया जाकर परिवादी के निजी वाहन के अन्दर बैठकर गवाहान एवं स्टाफ के सामने वार्ता करवाई गई तो आरोपी ने परिवादी से कहा कि मैंने आपके सारे जमाबन्दी वकालत नामा बगैरा वकील को दे दिया है आप वकील साहब से बात करलो मै नम्बर दे देता हू वो जो डेट दें उस डेट को आ जाना और आरोपी ने बकील का मोबाईल नम्बर [redacted] परिवादी को बताते हुये वकील का नाम जगदीश होना बताया और परिवादी द्वारा मांगे गये पैसे लेने के बारे में पूछा तो कोई स्पस्ट प्रतिउत्तर नहीं दिया और फोन काट दिया, उक्त मोबाईल वार्ता को जरिये समय सिंह हैड कानि0 परिवादी के सुपुर्द शुदा वॉईस रिकार्डर में डले एसडी कार्ड में रिकार्ड करवाया गया, तत्पश्चात आरोपी द्वारा बताये गये जगदीश नामक बकील के मोबाईल नम्बर [redacted] को परिवादी से उसके मोबाईल फोन नम्बर [redacted] से समय 01.36 पीएम पर कॉल करवाया जाकर एवं परिवादी के मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन कर जगदीश बकील से बार्ता करवाई गई जिसमें परिवादी ने कहा कि मुकेश जी ने नम्बर दिया था तो वकील ने हां हां कहा और कहा कि आपका एसडीएम कोर्ट में दावा पेश कर दिया है नोटिस निकल जायेंगे उक्त दावा में 14.08.2024 तारीख है तथा बकील ने परिवादी को 14.08.2024 को दोबारा आने एवं मुकेश कुमार गिरदावर से वार्ता करने की कहकर फोन कट कर दिया। उक्त वार्ता को जरिये समय सिंह हैड कानि0 वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड करवाया गया। इसके बाद परिवादी ने बताया कि आरोपी मुकेश कुमार गिरदावर आज मांगी हुई रिश्वत राशि नहीं लेकर आईन्दा लेगा। इस पर परिवादी की आरोपी श्री मुकेश कुमार गिरदावर से हुई मोबाईल

वार्ता एवं परिवादी के कथनानुसार आरोपी मुकेश कुमार गिरदावर द्वारा परिवादी से मांगी गई रिश्वत राशि आज प्राप्त करना लगभग असम्भव होने से परिवादी को आवश्यक हिदायत की गई तथा आईन्दा कार्यवाही किया जाना उचित समझते हुये समय करीब 01.50 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के मय ट्रेप बौक्स, सरकारी लेपटोप मय प्रिंटर आदि सामग्री एवं ऑडियो बीडियो कैमरा सहित जरिये सरकारी एवं प्राईवेट वाहन सवाई माधोपुर हवाई पट्टी के पास से रवाना होकर समय समय 03.50 पीएम पर एसीबी चौकी करौली आया जहां पर समय 04.05 पीएम पर दोनो गवाहान व परिवादी के सामने परिवादी श्री सौरभ जॉर्ज को पूर्व में जरिये फर्द सुपुर्द शुदा पाउडर युक्त रिश्वती राशि 500-500 रूपये के 80 नोट कुल 40000 रूपये श्री सुमेर सिंह हैड कानि0 नं. 70 से परिवादी की पहनी हुई पेंट की बांयी तरफ के घुटने पर लगी जेब के अन्दर से निकलवाकर पूर्व की फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट से दोनो गवाहो से मिलान करवाकर एक खाकी रंग के लिफाफे में रखवाये जाकर पाउडर युक्त रिश्वती राशि 40000 रू. मय लिफाफा को श्री सुमेर सिंह हैड कानि0 70 को सुपुर्द कर कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाये गये, तत्पश्चात परिवादी ने अपने पास से उसे सुपुर्द शुदा विभागीय वॉईस रिकार्डर पैनड्राईवनुमा किंगस्टन कम्पनी के डले हुये मैमोरी कार्ड 32 जीबी को मन पुलिस निरीक्षक के मांगने पर पेश किया जिसमें रिकार्ड मोबाईल वार्ता को अलग से सुनकर वार्ता का पृथक से रूपान्तरण एवं पैनड्राईव एवं डीबीडीयां तैयार किये जाने हेतु मन पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं के कब्जे में सुरक्षित रखा गया। इस समस्त कार्यवाही की फर्द मुर्तिव की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये गये। इसके बाद समय 04.30 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक ब्यूरो उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार दीगर अति-आवश्यक गोपनीय कार्यवाही हेतु भरतपुर जाना आवश्यक होने की स्थिति में परिवादी सौरभ जॉर्ज एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं कार्यालय स्टाफ को कार्यालय में बाद हिदायत छोड कर कुछ स्टाफ को हमराह लेकर जरिये सरकारी वाहन बोलेरो गाडी मय चालक एसीबी चौकी करौली से भरतपुर के लिये रवाना हुआ, तथा बाद कार्यवाही भरतपुर से दिनांक 21.07.2024 को समय 12.35 ए.एम. पर ब्यूरो कार्यालय करौली वापस आया। तत्पश्चात समय 12.40 ए.एम. पर दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी की मौजूदगी में मन पुलिस निरीक्षक के चैम्बर में स्वयं के कब्जे की कार्यालय आलमारी से सेंडिस्क अल्ट्रा 32 जीबी एसडी कार्ड मार्क-ए जिसमें परिवादी सौरभ जॉर्ज एवं आरोपी श्री मुकेश कुमार गिरदावर के मध्य दिनांक 19.07.2024 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन संबंधी वार्ता रिकार्ड है को निकालकर वॉईस रिकार्डर पैनड्राईवनुमा में डालकर उसको कार्यालय लेपटोप की मदद से चालू कराकर उसमें रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को टेवल स्पीकर के सहयोग से सुन व परिवादी व गवाहान को सुनाया गया जिसमें संदिग्ध आरोपी श्री मुकेश कुमार गिरदावर द्वारा परिवादी से 5 लाख रूपये का खर्चा होना बताते हुये वक्त सत्यापन 10 हजार रूपये बतौर रिश्वत प्राप्त करना एवं 40 हजार रुपये की मांग करना पाया गया। उक्त रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप की फर्द ट्रासक्रिप्ट एवं हिन्दी रूपान्तरण पृथक से तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये, उपरोक्त वार्ताओं में परिवादी श्री सौरभ जॉर्ज द्वारा अपनी आवाज व आरोपी श्री मुकेश कुमार गिरदावर की आवाज की पहचान की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की संबंधित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनो गवाहान तथा परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। वार्ता की पैनड्राईव व डी.वी.डी बनवाने हेतु एक खाली पैनड्राईव मेक मॉडल-सेंडिस्क 32 जीबी एवं दो खाली डी.वी.डी मेक मॉडल-सोनी डीवीडी आर 120 एमआईएन 4.7 जीबी 1.16 एक्स, जरिये मुख्य आरक्षक कार्यालय से मंगवाकर उन्हें खाली होना सुनिश्चित कर वाईस रिकार्डर मे डले 32 जीबी एसडी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा उक्त वार्ताओं को जरिये कानि0 गोपेन्द्र सिंह नम्बर 277 विभागीय लेपटोप तोसीबा कम्पनी की सहायता से बारी-बारी से पैनड्राईव एवं डीबीडीयों में संग्रहित करवाया जाकर बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर पैनड्राईव पर मार्क-ए-1 न्यायालय प्रति एवं एक डीबीडी पर मार्क-ए-2 मुल्जिम प्रति एवं दूसरी डीबीडी पर मार्क-ए-3 आईओ प्रति अंकित किया गया। मार्क शुदा पैनड्राईव व डीबीडीयों पर दोनों गवाहान व परिवादी के हस्ताक्षर करवाये जाकर वाईस रिकार्डर मय एसडी कार्ड एवं पैनड्राईव एवं डीबीडी की लेपटोप की मदद से लेपटोप में इस्टॉल सॉफ्टवेयर एक्सेसडेटा एफटीके इमेजर से हैज वैल्यू निकलवाई जाकर मार्क शुदा पेनड्राईव मार्क-ए-1 एवं डी.वी.डी-मार्क-ए-2 को पृथक पृथक कवरों में सुरक्षित रखकर, उन्हें अलग अलग कपडे की थैलियों में रखकर थैलियों पर भी मार्क ए-1 एवं ए-2 अंकित किया जाकर सील्ड मौहर कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा पुलिस लिया गया तथा आईओ प्रति डी. वी.डी मार्क-ए-3, को अनुसंधान हेतु कपडे की थैली में रखवाकर पत्रावली पर अनशील्ड रखा गया, तथा मूल एसडी कार्ड-सेंडिस्क अल्ट्रा 32 जीबी मार्क-ए को वॉईस रिकार्डर से बाहर निकालकर कवर में सुरक्षित रखकर कपड़े की थैली में रखा जाकर थैली के उपर मार्क-ए, अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर सील्ड मोहर किया गया। उक्त प्रक्रिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में डले एसडी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की जो डीवीडीयां एवं पैनड्राईव बनाई गई उनमें किसी भी प्रकार की छेडछाड एवं कांट-छांट नही की गई। पैनड्राईव, डीबीडीयां एवं एसडी कार्ड को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील का नमूना फर्द पर अंकित किया गया। इसके बाद दिनांक 21.07.2024 को समय 02.50 ए.एम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के सामने एवं परिवादी श्री सौरभ जॉर्ज की मौजूदगी में परिवादी से प्राप्त शुदा विभागीय वॉईस रिकार्डर पैनड्राईवनुमा में डले हुये किंगस्टन एसडी कार्ड 32 जीबी जिसमें दिनांक 20.07.2024 को वक्त कार्यवाही परिवादी श्री सौरभ जॉर्ज एवं संदिग्ध आरोपी श्री मुकेश कुमार गिरदावर एवं बकील जगदीश के मध्य हुई मोबाईल वार्ता रिकार्ड है। उक्त

वॉईस रिकार्डर पैनड्राईवनुमा में डले हुये किंगस्टन एसडी कार्ड 32 जीबी में रिकॉर्ड मोबाईल वार्ताओ को कार्यालय कम्प्यूटर की सहायता से सुना एवं परिवादी व गवाहान को सुनाया जाकर रिकार्ड वार्ताओ की शब्द ब शब्द ट्रांसक्रिप्ट एवं हिन्दी रूपान्तरण तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये, उपरोक्त वार्ताओं में परिवादी श्री सौरभ जॉर्ज द्वारा अपनी आवाज व आरोपी श्री मुकेश कुमार गिरदावर की एवं बकील जगदीश की आवाज की पहचान की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की संबंधित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनो गवाहान तथा परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। वार्ता की पैनड्राईव व डी.वी.डी बनवाने हेतु एक खाली पैनड्राईव मेक मॉडल-सेंडिस्क 32 जीबी एवं दो खाली डी.वी.डी मेक मॉडल सोनी डीवीडी आर 120 एमआईएन 4.7 जीबी 1.16 एक्स, जरिये मुख्य आरक्षक कार्यालय से मंगवाकर उन्हें खाली होना सुनिश्चित कर वाईस रिकार्डर मे डले किंगस्टन 32 जीबी एसडी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा उक्त वार्ताओं को जरिये कानि0 गोपेन्द्र सिंह नम्बर 277 विभागीय लेपटोप तोसीबा कम्पनी की सहायता से बारी-बारी से पैनड्राईव एवं डीबीडीयों में संग्रहित करवाया जाकर बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर पैनड्राईव पर मार्क-बी-1 न्यायालय प्रति एवं एक डीबीडी पर मार्क-बी-2 मुल्जिम प्रति एवं दूसरी डीबीडी पर मार्क-बी-3 आईओ प्रति अंकित किया गया। मार्क शुदा पैनड्राईव व डीवीडीयों पर दोनों गवाहान व परिवादी के हस्ताक्षर करवाये जाकर वाईस रिकार्डर मय एसडी कार्ड एवं पैनड्राईव एवं डीबीडी की लेपटोप की मदद से लेपटोप में इस्टॉल सॉफ्टवेयर एक्सेसडेटा एफटीके इमेजर से हैज वैल्यू निकलवाई जाकर मार्क शुदा पेनड्राईव मार्क-बी-1 एवं डी.वी.डी-मार्क-बी-2 को पृथक पृथक कवरों में सुरक्षित रखकर, उन्हें अलग अलग कपडे की थैलियों में रखकर थैलियों पर भी मार्का बी-1 एवं बी-2 अंकित किया जाकर सील्ड मौहर कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा पुलिस लिया गया तथा आईओ प्रति डी.वी.डी मार्क-बी-3, को अनुसंधान हेतु कपडे की थैली में अनशील्ड रखा गया, तथा मूल एसडी कार्ड- किंग्सटन 32 जीबी,, को वॉईस रिकार्डर से बाहर निकालकर मार्क-बी, अंकित कर कवर में सुरक्षित रखकर कपड़े की थैली में रखा जाकर थैली के उपर मार्क-बी, अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शील्ड मोहर किया गया। उक्त प्रक्रिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में डले एसडी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की जो डीवीडीयां एवं पैनड्राईव बनाई गई उनमें किसी भी प्रकार की छेडछाड एवं कांट-छांट नही की गई। पैनड्राईव, डीबीडीयां एवं एसडी कार्ड को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील का नमूना फर्द पर अंकित किया गया। इसके बाद बजह सबूत सील्ड शुदा पैनड्राईव, डीबीडीयां एवं एसडी कार्ड को दुरूस्त हालत में जमा मालखाना हेतु श्री सुमेर सिंह हैड कानि0 70 मालखाना इन्चार्ज को सुपुर्द किया गया। इसके बाद समय 04.15 एएम पर परिवादी श्री सौरभ जॉर्ज को आईन्दा आरोपी श्री मुकेश कुमार गिरदावर द्वारा रिश्वत राशि लेकर बुलाने पर कार्यालय में उसी समय सूचना देकर उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर एवं गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत देकर कार्यालय से रवाना कया गया तथा दोनो गवाहान व कार्यालय स्टाफ ट्रेप पार्टी सदस्यों को गोपनीयता की शपथ दिलाई गई तथा दोनो गवाहान श्री सुरेन्द्र सिंह मीणा व श्री मनोज पाल गवाहान को बाद हिदायत रूखसत किया गया। इसके बाद दिनांक 21.08.2024 तक परिवादी श्री सौरभ द्वारा कोई किसी प्रकार की सूचना नहीं दिये जाने और नांही कार्यालय में उपस्थित आने से मन पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार दिनांक 21.08.2024 को समय 08.56 एएम पर श्री अजय कुमार एएसआई द्वारा अपने मोबाईल से परिवादी से उसके मोबाईल फोन नम्बर [redacted] पर वार्ता की तो परिवादी ने बताया कि एसडीएम कोर्ट सवाई माधोपुर में पेश दावे में जो 14.08.2024 की तारीख थी वह बरसात अत्यधिक होने तथा बाढ की स्थिति होने से नहीं हुई थी तथा बकील ने कहा है कि वह शनिवार तक आगे की तारीख बता देगा परिवादी ने यह भी बताया कि उसकी मुकेश गिरदावर से बात नहीं हुई है, जैसे ही कोई बात होगी वह तुरन्त सूचना दे देगा। इसके बाद दिनांक 30.08.2024 को परिवादी श्री सौरभ जॉर्ज द्वारा उक्त दिनांक तक कोई किसी प्रकार की सूचना आदि नहीं दिये जाने और नांही कार्यालय में उपस्थित होने से परिवादी के मोबाईल नम्बर [redacted] पर अजय कुमार एएसआई के मोबाईल से समय 10.53 एएम, 02.52 पीएम 02.56 पीएम, पर तथा दिनांक 17.09.2024 को समय 04.04 पीएम व 04.05 पीएम पर कॉल किये गये किन्तु परिवादी द्वारा कॉल रिसीव नहीं किये गये और नांही वापस कॉल किया गया। इसके बाद दिनांक 18.09.2024 को समय 04.46 से 4.37 पीएम पर परिवादी से उसके आधार कार्ड में अंकित मोबाईल नम्बर 9351543393 पर जरिये अजय कुमार एएसआई के मोबाईल नम्बर से कॉल करवाने पर परिवादी से सम्पर्क हुआ जिसमें परिवादी ने बताया कि उसका मोबाईल नम्बर [redacted] घर पर रहता है, जिसके कारण वह फोन रिसीव नहीं कर सका तथा परिवादी से कार्यालय में उपस्थित नहीं होने के बारे में पूछा जाने पर परिवादी ने बताया कि उसने कई बार आरोपी मुकेश कुमार गिरदावर से फोन के जरिये सम्पर्क करना चाहा किन्तु उसने फोन नहीं उठाया है, और नाहीं उसके द्वारा कोई किसी प्रकार की बातचीत की गई है, शायद उसको मुझ पर कोई शक बगैराह हो गया है, जिससे वह मुझसे कोई बात नहीं कर रहा है, परिवादी को कार्यालय में उपस्थित होने हेतु कहा गया तो परिवादी ने दिनांक 23.09.2024 को कार्यालय में उपस्थित होने हेतु कहा गया। इसके बाद दिनांक 23.09.2024 को समय करीब 11.49 एएम पर परिवादी सौरभ जॉर्ज द्वारा श्री अजय कुमार एएसआई के मोबाईल फोन पर अपने मोबाईल से कॉल कर दिनांक 23.09.2024 की शाम तक कार्यालय में आने के लिये कहा जाने पर उक्त दिनांक को मन पुलिस निरीक्षक के गोपनीय कार्यवाही में व्यस्तता के चलते परिवादी को दिनांक 25.09.2024 को कार्यालय में आने को कहा गया।, जिस पर दिनांक 25.09.2024 को समय 06.10

पी.एम पर परिवादी श्री सौरभ जॉर्ज कार्यालय में उपस्थित आया एवं मुझ पुलिस निरीक्षक को बताया कि आरोपी मुकेश कुमार गिरदावर मेरे से कोई किसी प्रकार की बातचीत नहीं कर रहा है और नांही फोन उठा रहा है, शायद उसको मुझ पर किसी प्रकार का शक हो गया है, अब वह मुझसे पैसे आदि की मांग नहीं कर रहा है और अब वह मुझसे मांगी गई राशि नहीं लेगा और नांही कोई लेन-देन के संबंध में बातचीत करेगा। अतः मेरी 40,000 रूपये की राशि को वापस लोटाया जावे, इस संबंध में परिवादी द्वारा अपने हस्ताक्षरों से लिखित प्रार्थना पत्र पेश किया, तत्पश्चात श्री सुमेर सिंह हैड कानि0 नम्बर 70 मालखाना इन्चार्ज से पाउडर युक्त राशि 40,000 रूपये को लिफाफा सहित कार्यालय की आलमारी से निकलवाकर उक्त राशि 40,000 रूपयों 500-500 रू. के 80 नोट को लिफाफा से बाहर निकलवाकर उन्हें फिनोफ्थलीन पाउडर मुक्त कर परिवादी सौरभ जॉर्ज को वापस लोटाया जाकर प्राप्ती रसीद प्राप्त की गई, ताबाद परिवादी सौरभ जॉर्ज को बाद हिदायत कार्यालय से रूकसत किया गया, तथा गोपनीय जानकारी पर आरोपी मुकेश कुमार का एसडीएम कार्यालय सवाई माधोपुर में नहीं बल्कि खिलचीपुर (सवाई माधोपुर) हल्का में भू-अभिलेख निरीक्षक (गिरदावर) के पद पर पदस्थापन होना पाया गया है। इस प्रकार परिवादी श्री सौरभ जॉर्ज पुत्र श्री रॉक्शन रिचर्ड जाति क्रिश्चियन उम्र 37 साल निवासी मकान नं. 15, पॉकिट एच- 34, सेक्टर- 3 रोहिणी पुलिस थाना रोहिणी नई दिल्ली 85 की लिखित रिपोर्ट, फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 19.07.2024 एवं फर्द ट्रांसकिप्ट वक्त कार्यवाही मोबाईल वार्ता, एवं की गई समस्त कार्यवाही आदि से श्री मुकेश कुमार भू-अभिलेख निरीक्षक (गिरदावर) वृत खिलचीपुर तहसील व जिला सवाई माधोपुर द्वारा एक लोक सेवक होते हुये अपने वैद्य पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में भ्रष्ट तरीका अपनाकर तथा परिवादी को स्वयं का एसडीएम कार्यालय सवाई माधोपुर में गिरदावर के पद पर तैनात होना बताते हुये स्वयं के लिये परिवादी श्री सौरभ जॉर्ज से उसके एवं उसके पार्टनर श्री अभिमन्यू भाटी द्वारा दिनांक 22.08.2023 को फॉर्म हाउस हेतु ग्राम खिलचीपुर जिला सवाई माधोपुर में श्री राजेश पिपलवा पुत्र चिरंजीलाल पिपलवा राजपूत निवासी जयपुर हाल निवासी 1104 शिवम हाईटस मगोव गोदाधरा रोड, पर्वत सूरत, गुजरात से खाता संख्या नया 1123 पुराना 1099 का खसरा नम्बर 4673 रकवा 0.9900 हैक्टेयर किस्म बारानी 3 का 1/12 भाग व खाता संख्या नया 296 पुराना 311 का खसरा नम्बर 4670 रकबा 1.7500 हैक्टेयर किस्म बारानी 3 का 1/4 भाग की जरिये रजिस्टर्ड क्रय शुदा कुल 02 बीघा कृषि भूमि में से परिवादी के हिस्से की 1 बीघा कृषि भूमि का पैमाईस कर परिवादी को कब्जा दिलाने एवं एसडीएम कोर्ट सवाई माधोपुर में दावा पेश करवाकर सारी कार्यवाही कराने की एबज में 5 लाख रूपये का खर्चा बताकर पहले 50,000 रुपये रिश्वत की मांग करना तथा वक्त रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 19.07.2024 को परिवादी द्वारा पांच लाख के अन्दर काम हो जाने की कहने पर आरोपी गिरदावर द्वारा ,, हॉ. पांच लाख लास्ट बिल्कुल,,, कहकर अपनी सहमति देते हुये 10,000 रुपये वक्त रिश्वत मांग सत्यापन परिवादी से प्राप्त करना तथा 40,000 रुपये दिनांक 20.07.2024 को सुबह लेकर परिवादी को बुलाया जाना तथा दिनांक 20.07.2024 को परिवादी द्वारा जरिये मोबाईल बुलाने के लिये फोन किया जाने पर आने से इन्कार करते हुये परिवादी से मांगी गई रिश्वत राशि के बारे में कोई बात नहीं करना तथा दाबे से सम्बन्धित कागजात जगदीश नामक वकील को देने एवं उसका मोबाईल नम्बर देकर उससे बात करने की परिवादी को कहकर फोन काट देना तथा परिवादी द्वारा जगदीश नामक वकील से उसके मोबाईल पर वार्ता करने पर वकील द्वारा एसडीएम कोर्ट सवाई माधोपुर में दावा पेश करना जिसमें आगामी तारीख 14.08.2024 होना बताया जाना तथा परिवादी के लिखित प्रार्थना पत्र दिनांक 25.09.2024 के अनुसार आरोपी मुकेश कुमार गिरदावर द्वारा शक होने से उससे अब पूर्व में मांगी गई रिश्वत राशि प्राप्त नही करना और ना ही परिवादी का कब्जा दिलाने संबंधी कार्य कराना पाया गया है। श्री मुकेश कुमार भू-अभिलेख निरीक्षक (गिरदावर) वृत खिलचीपुर तहसील व जिला सवाई माधोपुर का रिश्वत राशि की मांग करने एवं सत्यापन के समय 10 हजार रूपये बतौर रिश्वत प्राप्त करने एवं मांगी गई 40 हजार रू. की रिश्वत राशि परिवादी पर शक होने से प्राप्त नहीं करने का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में दण्डनीय है। अतः श्री मुकेश कुमार मीना पुत्र श्री बंशीलाल मीना जाति मीना उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम तीन्डू ग्राम पंचायत जोला पोस्ट रामड़ी तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर हाल भू-अभिलेख निरीक्षक (गिरदावर) वृत खिलचीपुर तहसील व जिला सवाई माधोपुर का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रथम दृष्टया बनना पाया जाता है। अतः बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन मुख्यालय प्रेषित है। (जगदीश भारद्वाज) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करौली.....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री जगदीश भारद्वाज पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करौली ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री मुकेश कुमार मीना पुत्र श्री बंशीलाल मीना जाति मीना उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम तीन्डू ग्राम पंचायत जोला पोस्ट रामड़ी तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर हाल भू-अभिलेख निरीक्षक (गिरदावर) वृत खिलचीपुर तहसील व जिला सवाई माधोपुर के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री अमित सिंह,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 425 पर अंकित है।(ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1527-30

दिनांक 29-11-2024 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर। 2-जिला कलक्टर(भू.अ.), सवाईमाधोपुर। 3-उप महानिरीक्षक पुलिस-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करौली । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** AMIT SINGH **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति नि:शुल्क शिकायतकर्ता को दी गई))
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: 29/11/2024 18:03:38

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	17/07/1979				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)